

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 14(4) शिक्षा-1/जयपुर/2014पार्ट

जयपुर, दिनांक 13-06-2016

:: आदेश ::

शिक्षा विभाग के अधीन संचालित कक्षा 6 से 10/12 के विद्यालयों में उनके आस-पास उसी स्थान पर संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को समन्वित कर कक्षा 1 से 10/12 के, समन्वित (एकीकृत) विद्यालयों की स्थापना की गयी। जिन माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के परिसर में पर्याप्त स्थान उपलब्ध था एवं कक्षा 1 से 5/8 के विद्यार्थियों के लिये इन परिसरों में अध्ययन हेतु आना सुविधाजनक था, उन विद्यालयों में कक्षा 1 से 10/12 तक की समस्त कक्षाओं का संचालन एक ही परिसर में किया जा रहा है तथा अन्य समन्वित विद्यालयों में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षाओं का संचालन पृथक-पृथक भवनों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार किया जा रहा है। परन्तु दोनों ही मामलों में समन्वित (एकीकृत) विद्यालय को एक ही प्रशासनिक इकाई मानते हुए संचालित किया जा रहा है। इस व्यवस्था के निम्नलिखित लाभ हुए हैं :-

- i. प्राथमिक कक्षाओं को माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को समन्वित करने से इन कक्षाओं पर प्रशासनिक नियंत्रण प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक का हो गया। जिसके फलस्वरूप प्राथमिक कक्षाओं की बेहतर मॉनिटरिंग होने से विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में गुणात्मक सुधार हुआ है।
- ii. एकीकरण के फलस्वरूप इन विद्यालयों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में वर्ष 2015-16 में नामांकन में वृद्धि हुई है।
- iii. प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों का समग्र प्रशासनिक नियंत्रण समन्वित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्थाप्रधान के पास होने के फलस्वरूप शिक्षकों की उपस्थिति एवं शैक्षणिक कार्य में भी सुधार हुआ है।

जयपुर जिले के वर्तमान में संचालित कक्षा 6 से 10, 6 से 12 तथा 9 से 12 के विद्यालयों को कक्षा 1 से 10/12 के विद्यालय में परिवर्तित करने के लिये कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित विद्यालय में कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित विद्यालय को **समन्वित** करते हुए कक्षा 1 से 10/12 तक के समन्वित (एकीकृत) विद्यालय गठित करने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है :-

जिला-जयपुर

क. राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में समन्वयन

क्र०स०	पंचायत समिति / नगरपालिका	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम/वार्ड नं.	राउमावि /मावि.	समन्वित विद्यालय
1	2	3	4	5	6
1	बस्सी	बस्सी	बस्सी	राबाउमावि बस्सी	राउप्रावि बालिका बस्सी
2	दूदू	दूदू	दूदू	राबाउमावि दूदू	राबाप्रावि दूदू
3	दूदू	झरना	केसरीसिंहपुरा	राउमावि केसरीसिंहपुरा	राप्रावि केसरीसिंहपुरा
4	दूदू	हिरनोदा	हिरनोदा	राबाउमावि हिरनोदा	राबाप्रावि हिरनोदा
5	कोटपुतली	नारहेडा	नारहेडा	राआउमावि नारहेडा	राप्रावि नाथूवाला जाहड़
6	गोविन्दगढ	ढोडसर	ढोडसर	राउमावि ढोडसर	राउप्रावि ढोडसर
7	गोविन्दगढ	सामोद	सामोद	राउमावि सामोद	राउप्रावि सामोद वार्ड नं० 6
8	गोविन्दगढ	गोविन्दगढ	गोविन्दगढ	राबाउमावि गोविन्दगढ	राबाउप्रावि गोविन्दगढ
9	गोविन्दगढ	निवाणा	निवाणा	राउमावि निवाणा	1. राप्रावि निवाणा
10	गोविन्दगढ	लोहरवाडा	लोहरवाडा	राउमावि लोहरवाडा	1. राउप्रावि लोहरवाडा
11	गोविन्दगढ	खेजरोली	खेजरोली	राबाउमावि खेजरोली	राबाउप्रावि खेजरोली
12	पावटा	पावटा	पावटा	राबाउमावि पावटा	राबाउप्रावि पावटा
13	जमवारामगढ	भानपुरकला	भानपुरकला	राबाउमावि भानपुरकला	राबाउप्रावि भानपुरकला
14	जमवारामगढ	नायला	-	राबाउमावि नायला	राबाप्रावि नायला
15	सांभरलेक	हरसौली	हरसौली	राउमावि हरसौली	राप्रावि खारी तलाई
16	चाकसू	रूपाहेडीकला	रूपाहेडीकला	राउमावि रूपाहेडीकला	राप्रावि देवा गुर्जर की ढाणी
17	सांगानेर	गोनेर	गोनेर	राबाउमावि गोनेर	राबाउप्रावि गोनेर
18	सांगानेर	वाटिका	वाटिका	राबाउमावि वाटिका	राबाउप्रावि वाटिका
19	सांगानेर	सांगानेर	सांगानेर	राबाउमावि सांगानेर	राप्रावि मालपुरागेट
20	फागी	माधोराजपुरा	माधोराजपुरा	राबाउमावि माधोराजपुरा	राबाउप्रावि माधोराजपुरा
21	चाकसू	कोटखावदा	कोटखावदा	राआउमावि कोटखावदा	राउप्रावि कोटखावदा
22	शाहपुरा	मनोहरपुर	मनोहरपुर	राउमावि मनोहरपुर	राउप्रावि इन्दिरा

					कॉलोनी मनोहरपुर
23	शाहपुरा	अमरसर	अमरसर	राबाउमावि अमरसर	राबाउप्रावि अमरसर
24	गोविन्दगढ	हस्तेडा	हस्तेडा	राउमावि हस्तेडा	राउप्रावि हस्तेडा
25	गोविन्दगढ	ईटावा भोपजी	ईटावा भोपजी	राउमावि ईटावा भोपजी	राउप्रावि ईटावा भोपजी
26	गोविन्दगढ	गोविन्दगढ	गोविन्दगढ	राउमावि उदयपुरिया	राउप्रावि उदयपुरिया
27	जयपुर पश्चिम	नगरनिगम	43	राउमावि गोपालपुरा देवरी	राउप्रावि गोपालपुरा देवरी
28	जयपुर पश्चिम	नगरनिगम	79	राबाउमावि सिंधी कैम्प	राबाउप्रावि सिंधी कैम्प
29	जयपुर पश्चिम	नगरनिगम	54	राबाउमावि दुर्गापुरा	राबाउप्रावि दुर्गापुरा
30	जयपुर पश्चिम	नगरनिगम	32	राबाउमावि मानसरोवर	राबाउप्रावि कावेरी पथ मानसरोवर
31	जयपुर पश्चिम	नगरनिगम	26	राउमावि गणपति नगर	राउप्रावि हसनपुरा ओल्ड
32	जयपुर पश्चिम	नगरनिगम	83	राबाउमावि गणगौरी बाजार	राबाउप्रावि गणगौरी बाजार
33	जयपुर पूर्व	नगरनिगम	60	राउमावि सोमेश्वरपुरी	राप्रावि सोमेश्वरपुरी
34	जयपुर पूर्व	नगरनिगम	पालडीमीणा	राउमावि पालडीमीणा	राउप्रावि पालडीमीणा
35	जयपुर पूर्व	नगरनिगम	61	राबाउमावि सिंधी जवाहर नगर	राप्रावि सिंधी जवाहर नगर
36	जयपुर पूर्व	नगरनिगम	73	राबाउमावि घाटगेट	राबाउप्रावि घाटगेट
37	जयपुर पूर्व	नगरनिगम	60	राबाउमावि आदर्श नगर	राबाउप्रावि आदर्श नगर
38	जयपुर पूर्व	नगरनिगम	85	राबाउमावि गंगापोल	राबाउप्रावि मोतीकटला
39	जयपुर पूर्व	नगरनिगम	72	राबाउमावि पानों का दरीबा	राबाउप्रावि पानों का दरीबा
40	विराटनगर	नगरपालिका	4	राउमावि विराटनगर	राप्रावि मोडा की ढाणी बार्ड नं. 3
41	शाहपुरा	नगरपालिका	12	राबाउमावि दीवान शाहपुरा	राबाउप्रावि गोपीनाथ की गली शाहपुरा
42	कोटपुतली	नगरपालिका	26	राबाउमावि कोटपुतली	राबाउप्रावि सब्जी मण्डी
43	सांभरलेक	नगरपालिका	8	राबाउमावि सांभरलेक	राबाउप्रावि राजदुलारी सांभरलेक

44	सांभरलेक	नगरपालिका	17	राबाउमावि किशनगढ रेनवाल	राबाउप्रावि पत्थर मंडी रेनवाल
45	सांगानेर	नगर निगम	बगरु	राबाउमावि बगरु	राबाउप्रावि बगरु
46	सांगानेर	नगरनिगम	39	राउमावि सांगानेर	राउप्रावि शिवबाडी
47	जयपुर पश्चिम	नगरनिगम	किशनपोल	राबाउमावि महाराजा	राबाउप्रावि चांदपोल द्वितीय
48	कोटपुतली	कोटपुतली	कोटपुतली	राउमावि कोटपुतली	राउप्रावि बूचाहेडा
49	गोविन्दगढ	चोमू	चोमू	राबाउमावि चोमू	राबाउप्रावि चोमू
50	बस्सी	सुजानपुरा	सुजानपुरा	राबामावि सुजानपुरा	राबाप्रावि सुजानपुरा
51	बस्सी	बासखो	बासखो	राबामावि बालिका बासखो	राबाप्रावि बासखो
52	बस्सी	तुंगा	तुंगा	राबामावि तुंगा	राबाप्रावि तुंगा
53	फागी	चितोडा	चितोडा	रामावि चितोडा	मेजर जनरल शहीद देवेन्द्रपाल सिंह राप्रावि चितोडा
54	फागी	मांदी	मांदी	रामावि मांदी	राप्रावि मांदी
55	दूदू	बिचून	बिचून	राबामावि बिचून	राबाउप्रावि बिचून
56	दूदू	मौजमाबाद	मौजमाबाद	राबामावि मौजमाबाद	राबाउप्रावि मौजमाबाद
57	दूदू	नरायना	नरायना	राबामावि नरायना	राबाउप्रावि नरायना
58	कोटपुतली	कंवरपुरा	कंवरपुरा	राआमावि कंवरपुरा	राप्रावि कंवरपुरा
59	कोटपुतली	बनेटी	बनेटी	राबामावि बनेटी	राबाप्रावि बनेटी
60	विराटनगर	विराटनगर	विराटनगर	राबामावि मैड	राबाउप्रावि मैड
61	सांभरलेक	बघाल	बघाल	राबामावि बघाल	राबाप्रावि बघाल
62	जालसू	जाहौता	जाहौता	राबामावि जाहौता	राबाप्रावि जाहौता
63	फागी	मंडोर	मंडोर	रामादि मंडोर	राप्रावि मंडोर
64	सी-स्कीम	सी-स्कीम	सी-स्कीम	रामावि रेजीडेन्सी	राप्रावि सी-स्कीम गौतम मार्ग
65	गोविन्दगढ	चोमू	चोमू	रामावि माहेश्वरी चोमू	राप्रावि होली दरयाजा चोमू

66	चाकसू	चाकसू	शीतला माता	राबामावि शीतला माता	राबाप्रावि शीतला माता
----	-------	-------	------------	---------------------	-----------------------

उपरोक्तानुसार एकीकृत राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन निम्न दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा:-

- i. समाहित विद्यालय का पृथक से कोई प्रशासनिक अस्तित्व नहीं रहेगा एवं समन्वित(एकीकृत) उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय (समाहित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों सहित) का प्रशासनिक नियंत्रण माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन रहेगा।
- ii. एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक इन विद्यालयों के शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यों के लिये पूर्ण रूप से अधिकृत एवं उत्तरदायी होंगे।
- iii. एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में समाहित होने वाले प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की समस्त परिसम्पतियां यथा भूमि, भवन, खेल मैदान, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, स्थायी एवं अस्थायी परिसम्पतियाँ, उपयोगी एवं अनुपयोगी सामग्री आदि का हस्तान्तरण समन्वित (एकीकृत) उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में स्वतः ही हो जायेगा।
- iv. एकीकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय की समस्त कक्षाएं (कक्षा 1 से 12 अथवा 1 से 10) यथा संभव एक ही भवन/परिसर में संचालित होंगी। यदि स्थान की अनुपलब्धता अथवा विद्यार्थियों की सुविधा की दृष्टि से समस्त कक्षाएं एक ही परिसर में संचालित किया जाना संभव न हो तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक से स्वीकृति प्राप्त कर कक्षाओं का संचालन पृथक-पृथक परिसरों में किया जा सकता है। परन्तु कक्षा 1 से 12/1 से 10 कक्षा के एकीकृत विद्यालय की प्रत्येक कक्षा केवल एक ही परिसर में संचालित होगी, अर्थात् एक कक्षा दो परिसरों में पृथक-पृथक संचालित नहीं होगी।
- v. एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में एकीकरण के उपरान्त कक्षा 1 से 12/1 से 10 संचालित होगी। यह व्यवस्था समान रूप से लागू होगी। उदाहरण के लिए अगर एकीकरण के अन्तर्गत कक्षा 9 से 12 के विद्यालय में 1 से 5 के विद्यालय को ही समाहित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी एकीकृत विद्यालय में कक्षा 6 से 8 में प्रवेश की व्यवस्था करते हुए 1 से 12 कक्षाएं संचालित होगी।

- vi. एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय यथासंभव एक पारी में संचालित होंगे विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में कक्षा-कक्ष की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में माध्यमिक शिक्षा निदेशक से स्वीकृति प्राप्त की जाकर विद्यालय का संचालन दो पारियों में किया जा सकेगा।
- vii. एकीकरण से पूर्व उच्च माध्यमिक/माध्यमिक तथा उनमें समाहित होने वाले उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालय के नाम किसी दानदाता/शहीद सैनिक/स्वतंत्रता सेनानी आदि के नाम से होने की स्थिति में एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय के नामकरण के संबंध में विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक प. 11(40)शिक्षा-6/05/पार्ट दिनांक 11.2.2016 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
- viii. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 22(6)शिक्षा-1/2002 दिनांक 30.4.2015 द्वारा जारी मानदण्डों के अनुसार स्वीकृत विद्यालयों के पदों की संख्या का निर्धारण कर माध्यमिक शिक्षा में अतिरिक्त पदों के सृजन एवं प्रारम्भिक शिक्षा में समाहित किये गये विद्यालयों के स्वीकृत पदों को समाप्त करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जावेगा। पदों के सृजन के पश्चात नवसृजित पदों को राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के उप नियम 6(D) के तहत भरे जाने की कार्यवाही की जावेगी।
- ix. बिन्दु संख्या viii के अनुसार कार्यवाही सम्पादित होने तक समाहित किये गये प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक एकीकृत विद्यालय में यथावत कार्य करते रहेंगे एवं उनके वेतन का आहरण पूर्वानुसार पंचायतीराज/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से होता रहेगा।
- x. समस्त एकीकृत विद्यालयों का संचालन निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पत्र क्रमांक शिविरा-माध्य/मा/अ-1/आदर्श बी/21312/दो-112014 दिनांक 12.2.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।
- xi. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर, आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद एवं निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर

उपरोक्तानुसार विद्यालयों के समन्वयन के आधार पर शाला दर्पण/शाला दर्शन में आवश्यक प्रविष्टि का कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

आज्ञा से,
नाहर सिंह
(नाहर सिंह), 13/06/2016
शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपी : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, महोदय
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग
7. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर
8. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर
9. निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर
10. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर
11. संभागीय आयुक्त,
12. जिला कलक्टर,
13. संयुक्त/वरिष्ठ/उप शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा/आयोजना/शिक्षा ग्रुप-2, 5, 6
14. शिक्षा उपनिदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक, संभाग
15. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक(प्रथम/द्वितीय)
16. रक्षित पत्रावली

नाहर सिंह
13/06/2016
शासन उप सचिव, प्रथम